classmate
Date
Page

DATE: 19/09/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)
LECTURE NO.-15 (FIFTEEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व :

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है —

(1) संविधान का रक्षक —

संविधान की रक्षा करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्थापन आवश्यक है। चूँकि संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है और इस सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य करता है। वह संविधान के मूल ढाँचे के विरुद्ध संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर देता है। इसके लिए वह पहले संसद द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा करता है। इसी शक्ति के आधार पर वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। किसी भी प्रकार की संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय संविधान की आधिकारपूर्ण व्याख्याकर उस विवाद को समाप्त करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है।

Scanned with CamScanner

(2) संघात्मक व्यवस्था का रक्षक —

संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। इस शक्ति विभाजन की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यदि केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे रोकने का कार्य कर सकता है।

संविधान द्वारा संघीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का कितना भी स्पष्ट विभाजन क्यों कर दिया हो, दोनों मध्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना रहती ही है, तो इस स्थिति में विवाद का निवारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है।

(3) मूलअधिकारों का रक्षा —

भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है, तो आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के रिट, जिसका उल्लेख संविधान में है, जो पाँच प्रकार हैं— बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण को जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का महत्व काफी है।

Scanned with CamScanner